

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2025/5666

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

प्रार्थी

बनाम

दिनांक - 03.07.25

अप्रार्थीगण

1 मुकनाराम पुत्र हेमाराम
जाति माली निवासी
राऊजी की ढाणी, कवास
तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।


1 आईदानराम 2 भगाराम 3 मालाराम
पिसरान राणाराम 4 किशनाराम 5 कालूराम
पिसरान सोनाराम 6 अणदाराम पुत्र
मोटाराम 7 टीमोंदेवी पत्नि सोनाराम 8
उतमाराम पुत्र हेमाराम निवासी राऊजी की
ढाणी, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 237/2025

दिनांक-

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा राऊजीकीढाणी पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 381/282 रकबा 1.7321 हैक्टर, भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को
कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व
अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।
कमीशनर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती
है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक- 03.07.25

क्रमांक :- रीडर/2025/5667-70

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी मुकनाराम पुत्र हेमाराम जाति माली निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण आईदानराम पुत्र राणाराम वगैराह निवासी राऊजी की ढाणी, कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर